रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 1970/आश्विन 28, 1892

No 380] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 1970/ASVINA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 20th October 1970

S.O. 3685.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Second Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control) Order, 1955, for sub-clause 5(3)(iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(iii) the goods for the import of which a licence is granted shall be new goods, other than disposal goods, unless otherwise stated in the licence."

[Issued from F. No. ITC(HB)/Imports(Control)/Order/70/O&M]

[No. 5/70.]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1970

का० आ० 3685.—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है; अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाए।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में उप-धारा 5(3)(iii) के लिए निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) जब तक अन्यथा रूप में लाइसेंस में उल्लेख न कर दिया हो, निपटान किए गए माल से भिन्न जिस माल के आयात के लिए लाइसेंस दिया जाता है, वे नए माल होंगे।"

(मिसिल संख्या : आई टी सी (एच बी)/आयात (नियंत्रण)/आदेश/70/ओ एन्ड एम से जारी)

[सं० 5/70]

आर० जे० रबैलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970